



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2011/पौष 20, 1932
No. 12]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2011/PAUSA 20, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2011

सा.का.नि.13(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और आरंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (संख्या) नियम, 2011 है।
(2) ये 1 मार्च, 2011 से प्रवृत्त होंगे।
- संख्या करने की प्रणाली.**—(1) प्रत्येक संख्या दशमलव प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
(2) प्रत्येक संख्या दस के आधार पर निरूपित की जाएगी।
(3) किसी संख्या को अंकों में निरूपित करने के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों अर्थात् 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या इनके संयोगों का प्रयोग किया जाएगा।
- तीन अंकों से बड़ी संख्याएं—शब्दों में किस रीति में लिखी जाएंगी.**—तीन से अधिक अंकों में अभिव्यक्त संख्या इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से शब्दों में लिखी जाएगी।
- संख्याएं - किस रीति से लिखी जाएंगी.**—(1) किसी भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार, तीन से अधिक अंकों वाली किसी संख्या को लिखने के लिए दशमलव बिन्दु को आरम्भिक बिन्दु मान लिया जाएगा और प्रथम तीन संख्याएं, चाहे वे दशमलव बिन्दु के दाहिनी ओर हों या बायीं ओर; एक साथ समूहीकृत की जाएंगी और परवर्ती अंक दो के समूह में विभक्त कर लिए जाएंगे, और ऐसे अंकों के समूहों के अन्तरवर्ती स्थान में न तो विराम का प्रयोग किया जाएगा और न अर्धविराम का।

उदाहरण 23 14 345.732 23 50

(2) अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार, तीन से अधिक अंकों वाली किसी संख्या को लिखने के लिए दशमलव बिन्दु को आरम्भिक बिन्दु मान लिया जाएगा और प्रथम तीन संख्याएं, चाहे वे दशमलव बिन्दु के दाहिनी ओर हों या बायीं ओर तीन के समूह में विभक्त कर ली

जाएगी जो दशमलव बिन्दु से प्रारम्भ होगा और ऐसे अंकों के समूहों के अन्तरवर्ती स्थान में न तो विराम का प्रयोग किया जाएगा और न अर्धविराम का।

उदाहरण : 123 345.732 456

5. निरसन और बचत - (1) बाट और माप मानक (संख्यान) नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :-

(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रचालन अथवा कुछ किया गया अथवा किए जाने से लोप किया गया अथवा उसमें हुई क्षति; अथवा

(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोदभूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तरदायित्व; अथवा

(ग) उक्त नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई दंड, जब्ती या शास्ति; अथवा

(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, उत्तरदायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय।

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय संस्थित, जारी अथवा लागू किया जाए और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड जो अधिरोपित किया जाए मानो उक्त नियमों को निरस्त नहीं किया गया।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया कुछ अथवा की गई ऐसी कार्यवाही अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित अथवा पत्र या प्रदत्त छूट, संग्रहीत फीस, कोई न्यायनिर्णयत, जांच अथवा आरंभ किया अन्वेषण, कारण बताओ नोटिस, विनिश्चय, अवधारण, अनुमोदन उक्त नियमों के अधीन जारी दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त हैं तो प्रवृत्त रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इन नियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन जारी किए, दिए अथवा किए गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार को किए गए किसी आवेदन को या इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाट और माप की विनिर्माताओं, आयातकों, व्यौहारियों, मरम्मतकर्ताओं की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात किसी कार्यवाही पर और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्यवाही उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेगी मानो ये नियम विरचित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तथस्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची
(नियम 3 देखें)

क्रम संख्या	संख्यात्मक	रोमन लिपि में हिंदी संख्यांन	देवनागरी लिपि में हिंदी संख्यांन	अंग्रेजी में संख्यांन
1	10^3	हजार	हजार	थाउजेन्ट
2	10^4	दस हजार	दस हजार	टेन थाउजेन्ट
3	10^5	लाख	लाख	हण्ड्रेड थाउजेन्ट
4	10^6	दस लाख	दस लाख	मिलियन
5	10^7	करोड़	करोड़	टेन मिलियन
6	10^8	दस करोड़	दस करोड़	हण्ड्रेड मिलियन
7	10^9	अरब	अरब	बिलियन
8	10^{10}	दस अरब	दस अरब	टेन बिलियन
9	10^{11}	खरब	खरब	हण्ड्रेड बिलियन
10	10^{12}	दस खरब	दस खरब	ट्रिलियन
11	10^{13}	नील	नील	टेन ट्रिलियन
12	10^{14}	दस नील	दस नील	हण्ड्रेड ट्रिलियन
13	10^{15}	पदम	पदम	थाउजैट ट्रिलियन
14	10^{16}	दस पदम	दस पदम	टेन थाउजैट ट्रिलियन
15	10^{17}	शंख	शंख	हण्ड्रेड थाउजैट ट्रिलियन
16	10^{18}	दस शंख	दस शंख	थाउजैट थाउजैट ट्रिलियन

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2011

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Legal Metrology (Numeration) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the 1st day of March, 2011.

2. Procedure for making Numeration.- (1) Every numeration shall be made in accordance with the decimal system.
(2) Every number shall be represented on base ten.
(3) In representing any number in digits, the International form of Indian numerals, namely, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 or a combination thereof shall be used.

3. Manner in which numbers exceeding three digits shall be written in words.- Numbers expressed in digits exceeding three shall be written in words in the manner specified in the Schedule annexed to these rules.

4. Manner in which numbers shall be written.- (1) While writing in accordance with any Indian terminology, any number in digits exceeding three, the decimal point shall be taken as the starting point and the first three digits, whether to the left or right of the decimal point, shall be grouped together and the subsequent digits shall be divided in groups of two and neither dots nor commas shall be inserted in the spaces intervening between such groups of digits.
Example: 23 14 345.732 23 50.

(2) While writing in accordance with English terminology, any number in digit exceeding three, the decimal point shall be taken as the starting point and the digits, whether to the left or to the right of the decimal point, shall be divided into groups of three, starting from the decimal point and neither dots nor commas shall be inserted in the spaces intervening between such groups of digits.
Example: 123 345.732 456.

5. Repeal and savings.- (1) The Standards of Weights and Measures (Numeration) Rules, 1987 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect:

- (a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or

(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

And any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these rules.

(3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules for licence, registration of manufacturers, importers, dealers, repairers of weights and measures pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any registration granted in pursuance thereof.

(4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.

(5) Any appeal preferred to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

(See rule 3)

Serial Number	Numeral	Hindi numeration in Roman scripts	Hindi numeration in Devanagiri Scripts	Numeration in English
1.	10 ³	HAZAR	हजार	Thousand
2.	10 ⁴	DAS HAZAR	दस हजार	Ten thousand
3.	10 ⁵	LAKH	लाख	Hundred thousand
4.	10 ⁶	DAS LAKH	दस लाख	Million
5.	10 ⁷	CRORE	करोड़	Ten Million
6.	10 ⁸	DAS CRORE	दस करोड़	Hundred Million
7.	10 ⁹	ARAB	अरब	Billion
8.	10 ¹⁰	DAS ARAB	दस अरब	Ten Billion
9.	10 ¹¹	KHARAB	खरब	Hundred Billion
10.	10 ¹²	DAS KHARAB	दस खरब	Trillion

7662/11-2

11.	10^{13}	NEEL	नील	Ten Trillion
12.	10^{14}	DAS NEEL	दस नील	Hundred Trillion
13.	10^{15}	PADAM	पदम	Thousand Trillion
14.	10^{16}	DAS PADAM	दस पदम	Ten thousand Trillion
15.	10^{17}	SHANKH	शंख	Hundred Thousand Trillion
16.	10^{18}	DAS SHANKH	दस शंख	Thousand Thousand Trillion.

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.